महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Maharaj Suhel Dev University Azamgarh

E-Mail : registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांक :6972/कु0का0/2025 दिनांक- 06.8.2025

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के पत्रांक:6847/कु0का0/2025 दिनांक-21.07.2025 के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक-05.08.2025 के अनुपालन में अन्तिम तिथि दिनांक-30.07.2025 को विस्तारित करते हुए दिनांक-14.08.2025 कर दिया गया है। महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकगण से सादे कागज पर आवेदन-पत्र समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित उचित माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद हेतु निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित हैं :-

1. विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय में सह आचार्य/प्रवक्ता चयन वेतनमान/प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान पद पर कार्यरत होना चाहिए।
2. सम्बद्ध कॉलेजों के प्राचार्य/प्राचार्या जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि की जानकारी हो तथा रीडर का दर्जा प्राप्त हो, को भी कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है।
3. वह राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर न्यूनतम तीन वर्ष तक कार्यरत रहा हो।
4. प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।
5. अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद हेतु चयन के समय उसे 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
6. सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है।
7. विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14.08.2025 है। उसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

6.8.25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकगण के मध्य प्रसारित करा दे जिससे इच्छुक शिक्षकगण निर्धारित तिथि के अन्दर आवेदन विश्वविद्यालय को प्रेषित कर सकें।
3. मीडिया प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि समस्त/सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड।

कुलसचिव